



खाद्य लेबल के लिये QR कोड

प्रलिस के लिये:

खाद्य लेबल, [भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग \(FOPL\)](#), त्वरति प्रतिक्रिया कोड, दवियांग वयक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016, खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) वनियम, 2020

मेन्स के लिये:

भारत में खाद्य लेबल, खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंघति उद्योगों के लिये QR कोड का दायरा और महत्त्व, समावेशी विकास एवं इससे उत्पन्न मुद्दे

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण \(FSSAI\)](#) ने दृष्टिबाधति वयक्तियों की पहुँच के लिये [खाद्य उत्पादों पर QR कोड](#) शामिल करने की सफिरशि की है, जिसमें कहा गया है कि इससे [सभी के लिये सुरक्षति भोजन तक पहुँच सुनिश्चति होगी](#)।

- FSSAI ने वर्ष 2019 में [फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग \(FOPL\)](#) का प्रस्ताव रखा, जो उपभोक्ताओं को सूचति वकिल्प चुनने के लिये सचेत और शक्ति करने की एक प्रमुख रणनीति है।

QR कोड:

- [त्वरति प्रतिक्रिया \(Quick Response- QR\) कोड](#) एक प्रकार का [द्वि-आयामी मैट्रिक्स बारकोड](#) है जो वभिन्न प्रकार के डेटा को संग्रहीत कर सकता है, जैसे- अलफान्यूमेरिक टेक्स्ट, वेबसाइट यूआरएल, संपर्क जानकारी आदि।
- इसका आविष्कार वर्ष 1994 में [जापानी कंपनी डैसो वेव](#) द्वारा मुख्य रूप से [ऑटोमोबाइल के हिसों को ट्रैक व लेबल करने](#) के उद्देश्य से कथि गया था।
- QR कोड की वशिषता उसके वशिषिट चौकोर आकार और सफेद पृष्ठभूमिपर काले वर्गों का एक पैटर्न है, जिसे [QR कोड रीडर या स्मार्टफोन कैमरे का उपयोग करके स्कैन एवं भाषांतरति/इंटरप्रेट कथि जा सकता है](#)।

FSSAI की प्रमुख सफिरशें:

- **FSSAI के खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) वनियम, 2020:**
 - ये सफिरशें [FSSAI के खाद्य सुरक्षा और मानक \(लेबलिंग और प्रदर्शन\) वनियम, 2020](#) के अनुरूप हैं।
 - यह सुनिश्चति करता है कि खाद्य नरिमाता लेबलिंग आवश्यकताओं का पालन करें, जो खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण के लिये आवश्यक हैं।
- **दवियांग वयक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016:**
 - दृष्टिबाधति वयक्तियों की पहुँच के लिये QR कोड को शामिल करने का यह कदम [दवियांग वयक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016](#) के अनुरूप है।
 - यह समावेशति और आवश्यक जानकारी तक समान पहुँच को बढ़ावा देता है।
- **QR कोड द्वारा प्रदत्त जानकारी:**
 - QR कोड में उत्पाद से संबंघति व्यापक वविरण शामिल होगा, जिसमें सामग्री, पोषण जानकारी, एलर्जी संबंधी चेतावनी, वनिरिमाण तथि, तथि से पहले/समाप्त/उपयोग की सर्वोत्तम तथि और ग्राहक पूछताछ के लिये संपर्क जानकारी आदि, लेकिन यह इन्हीं तक सीमति नहीं है।
 - जानकारी तक पहुँच के लिये QR कोड को शामिल करना, संबंघति नयिओं द्वारा नरिधारति उत्पाद लेबल पर अनविर्य जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता को प्रतिसिथापति या अस्वीकार नहीं करता है।

सुरक्षित भोजन तक पहुँच से संबंधित वर्तमान चर्चाएँ:

- भारत में मोटापा, मधुमेह और हृदय संबंधी बीमारियों जैसे- **गैर-संचारी रोगों (NCD)** में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है।
- **वशिव स्वास्थ्य संगठन (WHO)** के अनुसार, पछिले दो दशकों में NCD में वैश्विक वृद्धि देखी गई है।
- इन बीमारियों को आंशिक और आक्रामक रूप से **आसानी से उपलब्ध सस्ते और प्री-पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की खपत एवं वणिगन** के लिये ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, जो उपभोक्ताओं के बीच तेज़ी से लोकप्रिय हो रहे हैं।

इसका महत्त्व:

- **दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिये पहुँच:**
 - इन कोड्स को स्कैन करने के लिये स्मार्टफोन के एप्लीकेशन का उपयोग किया जा सकता है और उपयोगकर्ता पढ़ी गई जानकारी को सुन सकता है।
 - यह गारंटी के साथ सुरक्षित भोजन तक समावेशिता और न्यायसंगत पहुँच को बढ़ावा देता है तथा सामान्य ग्राहकों के समान ही दृष्टिबाधितों की पहुँच खाद्य उत्पादों के वणिगन में महत्त्वपूर्ण जानकारी तक सुनिश्चित करता है।
- **वसितृत जानकारी:**
 - QR कोड में प्रदान किये गए वविरण का स्तर सभी उपभोक्ताओं, जिनमें आहार संबंधी प्रतर्बिध या एलर्जी वाले लोग भी शामिल हैं, को सूचित वकिल्प चुनने का अधिकार देता है, ताका प्रतर्किल प्रतर्क्रियाओं या स्वास्थ्य समस्याओं के जोखमि को कम किया जा सके।
- **सूचित नरिण्य लेना:**
 - उपभोक्ता नरिमाताओं द्वारा किये गए दावों को तुरंत सत्यापित कर सकते हैं और ऐसे वकिल्प चुन सकते हैं जो उनके स्वास्थ्य तथा आहार संबंधी आवश्यकताओं का समर्थन करते हैं।
 - प्री-पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की पर्याप्तता वाले बाज़ारों में यह वशिष रूप से महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि उपभोक्ता **स्वस्थ और कम स्वस्थ वकिल्पों के बीच अंतर कर सकते हैं।**
 - QR कोड के माध्यम से पोषण जानकारी और एलर्जी संबंधी चेतावनियाँ प्राप्त कर उपभोक्ता स्वस्थ खाद्य पदार्थ का चयन कर सकते हैं।
- **वैश्विक महत्त्व:**
 - खाद्य उत्पादों पर QR कोड का उपयोग केवल भारत ही नहीं करता है बल्कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटन जैसे देश भी खाद्य उत्पादों पर QR कोड के प्रमुख उपयोगकर्ता हैं।
 - यह वैश्विक रुझानों के अनुरूप है, क्योंकि उपभोक्ता **अपने द्वारा खरीदी गई वस्तुओं के वणिगन में जानकारी** प्राप्त करने के लिये QR कोड का अधिक-से-अधिक उपयोग करते हैं।

नष्किकरष:

- भारत में खाद्य उत्पादों पर QR कोड को शामिल करना सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, उपभोक्ता संरक्षण और समावेशिता को बढ़ावा देने की दशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। यह खाद्य लेबलिंग में वैश्विक रुझानों के अनुरूप है तथा उपभोक्ताओं को उनकी आहार संबंधी प्राथमकताओं के वणिगन में सूचित वकिल्प चुनने का अधिकार देता है।
- यह पहल प्री-पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की बढ़ती खपत और NCD में वृद्धि से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिये भारतीय अधिकारियों की प्रतर्बिधता को प्रदर्शित करती है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखित कथनों पर वचिर कीजयि: (2018)

1. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधनियम, 2006 ने खाद्य अपमशिरण की रोकथाम (प्रर्विशन ऑफ फूड एडल्टरेशन) अधनियम, 1954 को प्रतर्स्थापित कयि।
2. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधकिरण (फूड स्टैंडर्ड्स अथॉरटि ऑफ इंडयि) (FSSAI) केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परविर कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानदिशक के प्रभार में है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। इसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित किया गया है, यह विभिन्न अधिनियमों तथा आदेशों को समेकित करता है जसिने अब तक विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में खाद्य संबंधी मुद्दों के समाधान में सहायता की है।
- खाद्य मानक और सुरक्षा अधिनियम, 2006 को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954; फल उत्पाद आदेश, 1955 जैसे कई अधिनियमों एवं आदेशों के स्थान पर लाया गया। **अतः कथन 1 सही है।**
- FSSAI का नेतृत्व एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जसि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह भारत सरकार के अंतर्गत सचिव पद के समकक्ष हो अथवा सचिव पद से नीचे कार्यरत न रहा हो। FASSAI स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के अधीन नहीं है। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**
- FSSAI को मानव उपभोग के लिये सुरक्षा और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु खाद्य पदार्थों के लिये विज्ञान आधारित मानकों को निर्धारित करने तथा उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिये बनाया गया है।

अतः विकल्प (a) सही उत्तर है।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/qc-codes-for-food-labels>

